भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 52/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/2017/वाल्यूम-1 दिनांक: 22 फरवरी, 2107

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: डाक मतपत्रों का बिना डिलीवरी लौटना-अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया।

महोदय/महोदया,

निर्वाचन संचालन नियम, 61 के नियम-26 में यह प्रावधान है कि डाक द्वारा भेजे गए डाक मतपत्र तथा अन्य संबंधित कागजात यदि बिना डिलीवरी के रिटर्निंग अधिकारी के पास लौट आते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी उन्हें डाक द्वारा दोबारा जारी कर सकता है या निर्वाचक द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जारी कर सकता है। अत: बिना डिलीवरी के वापिस लौट आए डाक मतपत्रों को संबंधित निर्वाचक द्वारा अनुरोध किए जाने पर पुन: जारी कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां डाक मतपत्र डिलीवर हुए बिना वापिस लौट आते हैं तथा दोबारा जारी करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी उन्हें एक अलग लिफाफे में रखेगा जिसके ऊपर 'डिलीवर हुए बिना वापिस लौट आए डाक मतपत्र' लिखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी बिना डिलीवरी के वापिस लौटे हुए ऐसे डाक मतपत्रों की संख्या का दिन-प्रतिदिन रिकार्ड भी रखेंगे। इस लिफाफे को मुहरबंद भी किया जाना चाहिए तथा इसे निर्वाचन संचालन नियम,61 के नियम 92 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। गणना के दिन, बिना डिलीवरी के वापिस लौटे हुए ऐसे डाक मतपत्रों की कुल संख्या के बारे में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाना चाहिए।

2. इन अनुदेशों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग अधिकारियों को संसूचित किया जाए।

भवदीय,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव